

कार्यालय, नगर परिषद, नवादा

पत्रांक 444/न० प०

1182

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, नवादा।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार,  
वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना।

नवादा, दिनांक 01/3/2015 ई०

विषय :- नगर परिषद नवादा का अंकेक्षण प्रतिवेदन स० - 600/3-14 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग - वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, का पत्रांक एल० ए०/ एस० एस० - 1/ शून्य स्थानीय निकाय/ 14439/1917 दिनांक - 09.10.2014।

महाशय,

प्रसंगिक विषयवस्तु के संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन स० - 600/2013-14 जो नगर परिषद, नवादा का 2011-12 से 2012-13 तक के अवधि तक के लिए है, का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- उपर्युक्त जैसा।

विश्वास भाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, नवादा।

जापांक 444/न० प०, नवादा,

दिनांक 1/4/15

प्रतिलिपि : अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, नवादा।

नगर परिषद, नवादा।

01-4-15

प्र. पत्र - 11  
2/1/15  
3/4/15

श्री. प्रशासनिक  
804  
7/4  
4  
30/10  
220  
3/4/15

## कार्यालय नगर परिषद्, नवादा

अर्केक्षण प्रतिवेदन सं०- 600/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन ।

वर्ष - (2011-12 to 2013-14)

1181

### कंडिका

1. प्रस्तावना
2. प्रशासन
3. लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना जाँच किये गये अभिलेखों की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I पर तथा असंधारित/अनुपलब्ध अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर दी गयी है ।

### 4. यर्थाथ अर्केक्षण से परे बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 तक .....ताकि यर्थाथ पर बजट प्रकलन तैयार किया जा सके ।

### 5. सरकारी अनुदान

नगर परिषद्, नवादा द्वारा अनुदान पंजी..... का उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

### 6. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद्, नवादा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रोकड़बहियों.....जिससे कि प्राप्त राशि के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।

### 7. वसुली गयी राशि का जमा नहीं किया जाना

(क) वसुली गयी राशि वसुलिकर्ताओं द्वारा जमा नहीं किया जाना नगर परिषद्, नवादा के विविध रसीद.....। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- V पर दिया गया है ।

### अनुपालन

कोई टिप्पणी नहीं ।  
कोई टिप्पणी नहीं ।  
वांछित अभिलेख/पंजी अगले अर्केक्षण बल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

बजट तैयार करते समय सरकारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान रखा जायेगा ।

अनुदान पंजी संधारित की जा रही है । जिसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अगले लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

- (i) बैंक समाधान किया जा चुका है ।
- (ii) वार्षिक लेखा तैयार किया जाना प्रक्रिया में है ।
- (iii) राशि के उपयोग हेतु कार्रवाई की जा रही है । अधिकांश राशि वर्ष के अंत में प्राप्त होती है, उनको अगले वर्ष शर्तों के अधीन अधिकांश राशि खर्च की जा चुकी है ।

राशि जमा करने का विवरणी निम्नवत है ।

| क्र० सं०   | जमा किं गई राशि | चालान सं० एवं तिथि<br>(छायाप्रति संलग्न)   |
|------------|-----------------|--|
| 1          | 5550.00         | 76/30.09.2013  |
| 2          | 133.00          |  |
| 3          | 150.00          |  |
| <b>कुल</b> | <b>5833.00</b>  | अर्केक्षण के दौरान जमा कराया गया ।   |
| 4          | 2201.00         |  |
| 5          | 15407.00        |  |
| 6          | 19809.00        |  |
| <b>कुल</b> | <b>37417.00</b> | यह राशि बैंक से चेक एवं D.D. द्वारा जमा किया गया था, जिसका जाँच किया जा रहा है । |
| 7          | 37375.00        |  |
| 8          | 78717.00        | 94/119- Date-25.11.13 द्वारा जमा किया गया ।                                      |
| 9          | 12000.00        |  |
| 10         | 81838.00        | 97/18 दिनांक - 30.11.13 द्वारा जमा किया गया ।                                    |
| 11         | 94613.00        |  |
| 12         | 1000.00         | 66/31 दिनांक- 06.02.15 द्वारा जमा किया गया ।                                     |
| 13         | 5824.00         | 78/176 दिनांक- 02.07.13 द्वारा जमा किया गया ।                                    |

7. (ख) वसुली गयी राशि रोकड़पाल द्वारा जमा नहीं किया गया ।

विविध राशि दैनिक संग्रह पंजी.....परिशिष्ट-VI पर

या गया है । रोकड़ पाल द्वारा वसुली कर्ताओं से प्राप्त राशि

रु० 473093.00 अगले अर्केक्षण वर्ष में दिखाया जाय ।

राशि जमा करने का विवरणी निम्नवत है ।

1180

| क्र० सं० | जमा किं गई राशि | चालान सं० एवं तिथि (छायाप्रति संलग्न)  |
|----------|-----------------|--|
| 1        | 14750.00        | 82/93 Date- 25.07.2014   |
| कुल      | 14750.00        |  |
| 2        | 2348.00         | 96/16- Date- 30.11.2014  |
| 3        | 992.00          |  |
| 4        | 60426.00        |  |
| कुल      | 63987.00        |  |
| 5        | 28820.00        | 78/176- Date-02.07.13 Rs. 115739.00 जिसमे परिशिष्ट-V का क्र० सं०- 13 का Rs. 5824.00 शामिल है । |
| 6        | 64700.00        |  |
| 7        | 16935.00        |  |
| कुल      | 110455.00       |  |
| 8        | 12838.00        | 80/252 -Date- 09.07.13 द्वारा मो० 286626.00 जमा किया गया                                       |
| 9        | 23839.00        |  |
| 10       | 27836.00        |  |
| 11       | 43580.00        |  |
| 12       | 25326.00        |  |
| 13       | 64018.00        |  |
| 14       | 20628.00        |  |
| 15       | 26280.00        |  |
| 16       | 17988.00        |  |
| 17       | 15022.00        |  |
| 18       | 7265.00         |  |
| कुल      | 284630.00       |  |

7. (ग) गणना में त्रुटि के कारण काम जमा

रोकड़पाल, रोकड़बही तथा लेखापाल.....लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ।

7. (घ) परिमाण विपत्र बिक्री की राशि नगर परिषद्, कोष में जमा नहीं किया जाना ।

परिमाण विपत्र की राशि का जमा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय ।

7. A (i) सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं किए जाने के कारण हानि 13.05 लाख

अल्प जमा की राशि चालान सं० 65/30 दिनांक- 06.02.15 द्वारा 185.00 रु० जमा किया गया ।

राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है ।

क्र० सं० 1. से 3. तक के सैरातों यथा 1. बस डिपो परिसर का शौचालय 2. निबंधन कार्यालय के पास का शौचालय 3. कचहरी प्रांगण का शौचालय का आधुनिक शौचालय निर्माण एवं पे एंड यूज के आधार पर मलिन सिटी सेवा भावी प्रतिष्ठान संस्थान पटना को 15 वर्षों के लिए करार पत्र कर कार्यालय आदेश जापांक- 679 दिनांक- 01.04.2011 के द्वारा हस्तगत करा दिया गया । फलतः उसकी बन्दोवस्ती नहीं कि गई । (करार पत्र एवं आदेश की छायाप्रति संलग्न) फलतः नगर परिषद् के हानि का प्रश्न नहीं है । 4. सैरात हाट बाजार बन्दोवस्ती नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक- 2973 दिनांक- 20.07.2009 और बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रेस विज्ञापित दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दिनांक- 29.07.2009 द्वारा बन्दोवस्ती नहीं किये जाने का आदेश दिया गया फलतः वित्तीय वर्ष 2011-12 से बन्दोवस्ती नहीं किया गया । चूंकि उपरोक्त बन्दोवस्ती सरकारी आदेश के द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण बन्दोवस्ती नहीं की गई । फलतः नगर परिषद् के हानि का प्रश्न नहीं है और न कोई हानि के लिय जिम्मेदार है । अतएव आपत्ति पारा को निरस्त किया जाये ।

5106.00 चालान सं०..... दिनांक- 1.5.13 द्वारा जमा किया गया । (छायाप्रति संलग्न)

7. A (ii) रिकशा एवं वैन रिकशा निबंधन शुल्क..... रु० 5106.00 संबन्धित विभाग को प्रेषित कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय ।

8. बकाया मकान कर

परिषद् द्वारा समर्पित.....नगर परिषद् कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखायें ।

9. बकाया दुकान किराया

नगर परिषद् नवादा के लेखायों की लेखापरीक्षा..... वसुली कर जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखायें ।

वसुली हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

वसुली हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

## 10. मोबाइल टावरों का बकाया पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क

बिहार संचार मीनार.....वसुली संबंधित कम्पनियों  
कर नगर परिषद् कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

## 11. जवन कर का पुनरीक्षण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 127.....  
नगर परिषद् बढ़े हुए दरों से कर वसुली से वंचित रहा।

विषय वस्तु की नगर परिषद् बोर्ड की बैठक में रखा जा रहा है।

## 12. संपत्ति पंजी का संधारण नहीं

नगर परिषद्, नवादा के लेखा वर्ष- 2011-12 से 2012-13  
के दौरान.....आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

संपत्ति पंजी का संधारण चमारिया एंड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। जिसे अगले अर्केक्षण दाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा

## 13. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि जमा नहीं।

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर.....अगले लेखापरीक्षा  
में दिखाया जाय।

राशि जमा करा दी गई है। अगले अर्केक्षण दाल को दिखाया जायेगा।

## 14. दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय

बिहार सरकार के पत्र सं० 4 न से 1-103/87-1231/न० वि० एवं आ० वि०  
दिनांक- 06.05.1992.....उक्त व्यय रु० 21,40,996.00  
लेखापरीक्षा के अधीन रखा जाता है।

स्वीकृत बलों की स्वीकृती 1970 में दी गई है जो मात्र 55 एवं सफाई कर्मचारियों को लेकर है। उस समय शहरी आबादी मात्र 23,750 थी अभी नगर परिषद्, क्षेत्र की आबादी 97,884 है। इस तरह आबादी में चार गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्वीकृत बलों से कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाने के कारण नगर परिषद् बोर्ड द्वारा दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों को रखकर काम लिया जा रहा है।

## 15. स्वीकृत पद से अधिक कर्मियों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान

प्रस्तुत स्वीकृत एवं कार्यरत बल विवरणी.....लेखापरीक्षा आपत्ति  
के अधीन रखा जाता है।

सरकारी स्वीकृती की अपेक्षा की जाती है।

## 16. योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं अधिन्न भुगतान

## (A) योजना सं०-67/11-12 में अधिक भुगतान

योजना का नाम- नारदीगंज रोड में मुख्य मंदिर के निकट टूटी नाली  
का मरम्मत कार्य। कनीय अभियंता श्री के० के० सिन्हा।

आपत्ति निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

## (B) अधिक भुगतान

योजना सं०- 15/11-12

योजना का नाम- गढ़ पर श्री गुलाब के घर से श्री इन्द्रदेव सिंह के घर  
तक नाली, स्लैब, एवं पी० पी० सी० कार्य। कनीय अभियंता श्री उमेश प्रसाद।

आपत्ति की निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

## (C) प्राक्कलन से अधिक व्यय रु० 52,731.00

योजना सं०- 10/12-13 (B.R.G.F.)

योजना का नाम- वार्ड न०- 10 में माली ववरची के घर होते हुए नदी तक  
नाली, स्लैब, एवं पी० पी० सी० कार्य। संवेदक श्री दीपेन कुमार राय।

## (D) योजना कार्यान्वयन अधिक भुगतान

योजना सं०- 113/11-12 (B.R.G.F.)

योजना का नाम- वार्ड न०- 16 में उदय चौहान के घर से बरहगैनिया पैन  
तक नाली, स्लैब, एवं पी० पी० सी० कार्य। संवेदक श्री मो० सरफराज आलम।

आपत्ति की निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

## (E) प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं होना

योजना सं०- 70/11-12 (नगर निधि)

योजना का नाम- वार्ड न०- 32 में चन्दू मियां के घर से मो० युसूफ के घर तक  
स्लैब, सोलिंग एवं पी० पी० सी० कार्य।

आपत्ति की निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

## (F) प्राक्कलन में वर्णित मदों में विचलन

योजना का नाम- वार्ड न०- 10 में पम्पुकल रोड, जगदीश साव के घर के पीछे  
से नन्दलाल के घर तक नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य। यो० सं०-  
48/12-13 (नगर निधि)।

आपत्ति की निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

प्राक्कलन के अनुसार नाला निर्माण कार्य.....रु० 18844.00 नगर  
परिषद् निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

## 17. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं

निम्नलिखित योजनाओं में संवेदकों से विलम्ब शुल्क की कटौती.....

रु० 1,18,200.00 की वसुली संबंधित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के कर नगर परिषद् कोष  
में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

बी० आर० जी० एफ० योजना के तहत आवंटन एवं योजना की  
स्वीकृती जिला परिषद् से नगर परिषद् को प्राप्त होता है।

स्वीकृत कूल योजनाओं के लिए राशि का आवंटन एक मुश्त नहीं  
देकर खण्ड-खण्ड में दिया जाता है। योजनाओं की निविदा एक  
साथ की जाती है। करार पत्र करा लिया जाता है परंतु राशि की  
अनुपलब्धता के कारण कार्य में विलम्ब होता है। जिला परिषद्  
को भी सरकार से एक मुश्त आवंटन नहीं मिलता है। राशि के  
नहीं रहने के कारण संवेदक द्वारा कार्य करने में देर किया जाना  
स्वाभाविक है। फलतः विलम्ब शुल्क कटौती के आपत्ति को

निरस्त करने की कृपा किया जाय क्योंकि इसमें किसी भी स्तर पर जान बूझकर गलती नहीं की गई है।

1178

**18. योजनाओं की स्थिति**

- (i) योजना विवरणी के अनुसार.....अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।  
(ii) विवरणी के अनुसार वैट और रॉयल्टी.....प्रस्तुत किया जाय।  
(iii) बिहार सरकार के श्रम संसाधन.....संबंधित कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

सभी लंबित 61 योजनायें पूरी कराई जा चुकी है।

वैट एवं रॉयल्टी की राशि जमा कर दी गई है।  
प्राक्कलन में लेबर शेष का प्रावधान नहीं किया गया है। अब लिए जा रहे योजनाओं के विपत्र भुगतान के समय लेबर शेष की कटौती की जा रही है।

**19. प्राक्कलन संलग्न नहीं :-**

**योजना सं०- 104/11-12(पि०क्ष०अ०नि०)**

योजना का नाम - वार्ड न०- 05 न्यू एरिया में श्री अरुण जी के घर से संभु जी.....पी०सी०सी० का निर्माण कार्य।

प्राक्कलन मो० 5,99,000.00 का अभिलेख पर संलग्न है। जिसकी तकनीकी स्वीकृती जिला अभियंता जिला परिषद्, नवादा से प्राप्त है। उक्त प्राक्कलन के आधार पर ही योजना का काम संपन्न कराया गया है।

**20. असमायोजित अग्रिम**

नगर परिषद्, नवादा द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 12-13 के अग्रिम पंजी.....समायोजन अथवा वसूली का अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

अग्रिम समायोजन/वापसी की कार्रवाई की जा रही है।

**21. कार्यपालक से वार्तालाप**

कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

**22. लेखापरीक्षा का परिणाम (परिशिष्ट- XIV)**


- क. लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि.....।  
ख. वसूली हेतु सुझाई गई राशि.....।  
ग. लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गई राशि.....।

कोई टिप्पणी नहीं है।  
आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।  
आपत्ति निवारण की कार्रवाई की जा रही है।

**23. सामान्य अभियुक्ति**

नगर परिषद् द्वारा कई महत्वपूर्ण अभिलेखों.....जिसे अविलम्ब रोका जाय।

निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

  
27/3/15  
कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा  
नगर परिषद्, नवादा